न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 129/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक : 20.06.2022
अन्तर्गत धारा : अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. महावीर प्रसाद आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी ग्राम खटकड़, तहसील एवं जिला बून्दी
2. भंवरलाल आत्मज रामकुमार मीणा, जाति मीणा निवासी ग्राम खटकड़, तहसील एवं जिला बून्दी

....अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी, जिला बून्दी
2. प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटकड़, तहसील एवं जिला बून्दी
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री रामदत्त शर्मा अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार –रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 27.06.2025

अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा आदेश संख्या 101 दिनांक 01.09.2016 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी ने आदेश संख्या 3 दिनांक 10.03.2015 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खटकड़ को खसरा सं0 148 रकबा 102 बीघा में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा उक्त आवंटित भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये उपयुक्त नहीं बताये जाने से आवंटन आदेश 3 दिनांक 10.03.2015 को निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी बून्दी के पत्रांक 1820 दिनांक 27.07.2016 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार खसरा सं0 219 रकबा 3

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

बीघा 19 बिस्वा, खसरा सं0 225 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा सं0 226 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय ग्राम खटकड़ का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को आवंटित किये जाने का आवंटन आदेश संख्या 101 दिनांक 01.09.2016 पारित किया गया।

2. प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.09.2016 वस्तुस्थिति, विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। जिस भूमि का आवंटन जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा किया गया है, वह भूमि अपीलार्थी आवंटित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि खसरा संख्या 219 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा रेस्पो0 क्र. 2 को आवंटन करने से पूर्व इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि उक्त भूमि अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि के बीचोंबीच स्थित है, इस पर अपीलार्थी काफी वर्षों से काबिज है तथा अपीलार्थी को धारा 91 के नोटिस भी दिये जाते रहे हैं और पेनल्टी भी अपीलार्थी के द्वारा जमा करायी जाती रही है। रेस्पो को वादग्रस्त भूमि आवंटित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। उक्त आराजी अपीलार्थी के कब्जे काश्त होने से बोरिंग लगाकर उक्त भूमि को अपीलार्थी काश्त करके फसल पैदा करते आ रहे हैं और अपन परिवार का भरण–पोषण करते चले आ रहे हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर भूमि खसरा सं0 219 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम खटकड़ की सीमा तक आवंटन आदेश दिनांक 01.09.2016 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रस्तुत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी आवंटित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि खसरा संख्या 219 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा रेस्पो0 क्र. 2 को आवंटन करने से पूर्व इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि उक्त भूमि अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि के बीचोंबीच स्थित है, इस पर अपीलार्थी काफी वर्षों से काबिज है तथा अपीलार्थी को धारा 91 के नोटिस भी दिये जाते रहे हैं और पेनल्टी भी अपीलार्थी के द्वारा जमा करायी जाती रही है। रेस्पो को

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

वादग्रस्त भूमि आवंटित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। उक्त आराजी अपीलार्थी के कब्जे काश्त होने से बोरिंग लगाकर उक्त भूमि को अपीलार्थी काश्त करके फसल पैदा करते आ रहे हैं और अपन परिवार का भरण–पोषण करते चले आ रहे हैं। अपीलाधीन आवंटन आदेश के विरूद्ध हजारीलाल, बिरधीलाल माधोलाल पि0 हरदेव मेहर आदि निवासीगण की ओर से इसी न्यायालय में प्रस्तुत अपील सं0 88/2017 के निर्णय दिनांक 06.12.2017 द्वारा भूमि खसरा सं0 226 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा को पूर्व में आवंटित भूमि होना तथा इसके बाबत राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित अपील में स्थगन आदेश जारी होना मानते हुए भूमि खसरा सं0 226 के बाबत् आवंटन आदेश निरस्त कर दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु दूसरी भूमि दे दी गई है जो उनके खाते में दर्ज हो चुकी है। पूर्व की आराजी भी आवंटित चली आ रही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर भूमि खसरा सं0 219 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम खटकड़ की सीमा तक आवंटन आदेश दिनांक 01.09.2016 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी का आवंटन आदेश दिनांक 01.09.2016 न्यायोचित है। जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा अपने पूर्व आवंटन आदेश संख्या 3 दिनांक 10.03.2015 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खटकड़ को ग्राम खटकड़ के खसरा सं 148 रकबा 102 बीघा 01 बिस्वा में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी किंतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बून्दी द्वारा उक्त आवंटित भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये उपयुक्त नहीं होना बताये जाने पर आवंटन आदेश दिनांक 10.03.2016 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1820 दिनांक 27.07.2016 अनुसार प्रश्नगत आराजी आदेश दिनांक 01.09.2016 से आवंटित की गई है। अपीलार्थी को उक्त राजकीय भूमि पर कोई अधिकार निहित नहीं है, अपीलार्थी अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर प्रकरण में अपीलांट द्वारा धारा–5 प्रार्थना–पत्र में विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य में न्यायहित में मियाद कण्डोन करने के उपरांत अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित प्रकट होता है।

7. प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर आध्योपांत अवलोकन कर बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया। प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी का खसरा सं0 219 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खटकड़ पर काफी वर्षों से निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आराजी की कृषि योग्य बनाया है तथा परिवार का भरण पोषण उक्त आराजी से करते चले आ रहे हैं। अपीलाधीन आवंटन आदेश के विरूद्ध हजारीलाल, बिरधीलाल माधोलाल पि0 हरदेव मेहर आदि निवासीगण की ओर से इसी न्यायालय में प्रस्तुत अपील सं0 88/2017 के निर्णय दिनांक 06.12.2017 द्वारा भूमि खसरा सं0 226 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा को पूर्व में आवंटित भूमि होना तथा इसके बाबत राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित अपील में स्थगन आदेश जारी होना मानते हुए भूमि खसरा सं0 226 के बाबत् आवंटन आदेश निरस्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क के संबंध में प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा अपने पूर्व आवंटन आदेश संख्या 3 दिनांक 10.03.2015 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खटकड़ को ग्राम खटकड़ के खसरा सं 148 रकबा 102 बीघा 01 बिस्वा में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी किंतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बून्दी द्वारा उक्त आवंटित भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये उपयुक्त नहीं होना बताये जाने पर आवंटन आदेश दिनांक 10.03.2016 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1820 दिनांक 27.07.2016 अनुसार प्रश्नगत आराजी आदेश दिनांक 01.09.2016 से आवंटित की गई है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 01.09.2016 से आवंटित खसरा सं0 219 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है। प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 20.07.2016 का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि आवंटित संपूर्ण आराजी कुल रकबा 11.03 बीघा सिवायचक किस्म बारानी–3 होना अंकित किया गया है। भूमि पर कोई विवाद नहीं होना तथा उक्त आवंटित भूमि में से ही वादग्रस्त आराजी खसरा सं0 219 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के राजकीय भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से उक्तानुसार

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

प्रश्नगत आराजी पर किसी प्रकार से हित निहित नहीं होना प्रकट होता है। अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि अपीलाधीन आवंटन आदेश के विरूद्ध हजारीलाल, बिरधीलाल माधोलाल पि0 हरदेव मेहर आदि निवासीगण की ओर से इसी न्यायालय (क्षेत्राधिकार से पूर्व राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2017) में प्रस्तुत अपील सं0 88/2017 के निर्णय दिनांक 06.12.2017 द्वारा भूमि खसरा सं0 226 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा को पूर्व में आवंटित भूमि होना तथा इसके बाबत राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित अपील में स्थगन आदेश जारी होना मानते हुए भूमि खसरा सं0 226 के बाबत् आवंटन आदेश निरस्त कर दिया गया है। चूंकि राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.12.2017 से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्थगन आदेश होने से तदनुसार उक्त स्थगन आदेश के आवंटित आराजी खसरा सं0 226 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा पर प्रभावी होने से उक्त आराजी के हद तक आवंटत निरस्त करने का निर्णय दिनांक 06.12.2017 पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के द्वारा अपील मीमों में वर्णित प्रश्नगत आराजी के संबंध में अतिक्रमी की हैसियत से राजकीय भूमि पर काबिज होने से कोई हित निहित नहीं होना प्रकट होने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2016 में कोई हस्तक्षेप की गुजांइश प्रकट नहीं होता है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा